संख्या-109/2021/956/22-4-2021-48(13)/2019

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 18 नवम्बर, 2021

विषय:- प्रदेश की कारागारों में निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेश पर अंकुश लगाने हेतु 10 अदद लान लीनियर जंक्शन डिटेक्टर (एलएनजेडी) की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11548/आधु-2-एलएनजेडी/2021, दिनांक-11.05.2021 एवं पत्र संख्या-21171/आधु-2/एलएनजेडी/2021, दिनांक-16.08.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा 10 अदद् लान लीनियर जंक्शन डिटेक्टर (एलएनजेडी) के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति वर्ष 2019-20 में शासनादेश संख्या-43/2019/681/22-4-19-48(13)/19, दिनांक-09.08.2019 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या-58/2021/127/22-4-2021-48(13)/19, दिनांक-19.03.2021 द्वारा जारी की गयी धनराशि रू0 190.92 लाख का क्रयानुमोदन प्राप्त न होने के कारण समर्पित करने की सूचना उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 10 अदद लान लीनियर जंक्शन डिटेक्टर (एलएनजेडी) क्रय हेतु रू0 199.90 लाख का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया प्रदेश की कारागारों में निषिद्ध वस्तुओं के प्रवेशपर अंकुश लगाने हेतु सभी 09 परिक्षेत्रीय कार्यालयों हेतु 09 अदद् तथा डा0 सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान हेतु 01 अद्द कुल 10 अदद नॉन लिनियन जंक्शन डिटेक्टर (एनएलजेडी) की व्यवस्था हेतु संगत मद में प्रावधानित धनराशि रू0 40.00 करोड़ में से 10 अदद नान लिनियर जंक्शन का क्रय किए जाने हेतु धनराशि रू0 1,99,90,000/- (रू0 एक करोड़ निन्नाबे लाख नब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रदान करती है:-

(1) महानिरीक्षक कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं /सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा ।

(2) महानिरीक्षक कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर गयी हो ।

(3) क्रय किये जाने वाले उपकरणो की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई /महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणो की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो ।

(4) उपकरणो के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तगत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणो का क्रय न किया जाय ।

(5) उक्त धनराशि का व्यय स्वीकृत प्रयोजन हेतु स्वीकृत संख्या के अन्तर्गत ही किया जायेगा। किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा ।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31-3-2022 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(7) क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-'4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-14- कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और सयंत्र मद" के नामे डाला जायेगा और उस लेखाशीर्षक/मद में उपलब्ध बजट से ही वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-12-229(ई0ओ0)/दस-2021 दिनांक-16-11-2021 में प्राप्त उनकी सहमति जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-109/2021/956/22-4-2021-48(13)/2019तददिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।